

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम 2020 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ता एंवं विद्युत कर्मियों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने एंवं उपभोक्ता शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया हेतु गठित कमिटी के प्रतिवेदन अनुसार कम्पनी के वेब-साइट पर प्रकाशित करने योग्य

शिकायत/आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया

01. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम 2020 में उल्लेखित गारंटीड उपभोक्ता सेवाओं के लिए उपभोक्ता शिकायत/आवेदन नीचे तालिका में दर्शाये गए विकल्पों के प्रयोग से दर्ज कर सकते हैं :

क्र.	विद्युत सेवा का विवरण	शिकायत/आवेदन पंजीकृत करने की प्रक्रिया	पंजीकरण की पावती
1	विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायत	(1) टोल फ़ी नंबर 1912 में डायल कर 24x7 अवधि के लिए क्रियाशील केन्द्रीकृत कम्प्यूटराइज कॉल सेन्टर में (2) मोर बिजली मोबाइल ऐप के माध्यम से, (3) सी.एस.पी.डी.सी.एल. की वेबसाइट www.cspdcl.co.in के माध्यम से, (4) रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9999511912 पर मिस्टकॉल द्वारा (5) निकटतम पर्यूज ऑफ कॉल सेन्टर में।	उपभोक्ता/आवेदक को पंजीकरण की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से तुरंत प्राप्त होगी जिसमें शिकायत का यूनिक नंबर, शिकायत दर्ज करने का समय एंवं तिथि अंकित होंगे।
2	विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत।	(1) टोल फ़ी नंबर 1912 में डायल कर 24x7 अवधि के लिए क्रियाशील केन्द्रीकृत कम्प्यूटराइज कॉल सेन्टर में (2) मोर बिजली मोबाइल ऐप के माध्यम से, (3) सी.एस.पी.डी.सी.एल. की वेबसाइट www.cspdcl.co.in के माध्यम से,	उपभोक्ता/आवेदक को पंजीकरण की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से तुरंत प्राप्त होगी जिसमें शिकायत का यूनिक नंबर, शिकायत दर्ज करने का समय एंवं तिथि अंकित होंगे।
3	विद्युत कनेक्शन के लिए स्थापित मीटर से संबंधित शिकायत।	(4) रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9999511912 पर मिस्टकॉल द्वारा (5) संबंधित विद्युत कार्यालय में	संबंधित विद्युत कार्यालय में दर्ज किये गए आवेदन/शिकायत के लिए कार्यालय से प्राप्त आवेदन की कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पावती को पंजीकरण के रूप में मान्यता रहेगी।
4	विद्युत बिल से संबंधित सभी शिकायतों की प्रक्रिया।		
5	उपभोक्ता मीटर की रीडिंग से संबंधित शिकायत।		
6	नये कनेक्शन से संबंधित प्रकरण।	(1) सी.एस.पी.डी.सी.एल. की वेबसाइट	
7	उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन में संविदा भार		उपभोक्ता/आवेदक को पंजीकरण की सूचना

	में वृद्धि/कमी से संबंधित प्रकरण।	www.cspdcl.co.in के माध्यम से (2) संबंधित विद्युत कार्यालय में	एस.एम.एस. के माध्यम से तुरंत प्राप्त होगी जिसमें शिकायत का यूनिक नंबर, शिकायत दर्ज करने का समय एवं तिथि अंकित होंगे। संबंधित विद्युत कार्यालय में दर्ज किये गए आवेदन/शिकायत के लिए कार्यालय से प्राप्त आवेदन की कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पावती को पंजीकरण के रूप में मान्यता रहेगी।
8	विद्युत कनेक्शन के स्वामीत्व/नाम परिवर्तन/प्रयोजन में परिवर्तन/एच.टी. से एल.टी. एवं Vice-versa में परिवर्तन से संबंधित प्रकरण।		
9	उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति को विश्वनीयता (Reliability) की निर्धारित सीमा में कायम रखने से संबंधित शिकायत।	संबंधित विद्युत कार्यालय में	संबंधित विद्युत कार्यालय में दर्ज किये गए आवेदन/शिकायत के लिए कार्यालय से प्राप्त आवेदन की कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पावती को पंजीकरण के रूप में मान्यता रहेगी।
10	सुरक्षानिधि को लौटाने से संबंधित शिकायत।		
11	बकाया राशि पर लाईन विच्छेदन के उपरांत लाईन जोड़ने से संबंधित शिकायत।		